

शपथ पत्र के लिए प्रारूप

शपथ पत्र (affidavit)

मैं/हम, _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____, आयु _____ वर्ष, (सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी का नाम जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है) के अध्यक्ष या सचिव और (विद्यालय का नाम) का संचालन करने वाले, निम्नलिखित निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं और घोषणा करते हैं:

1. _____ (सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी का नाम जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है) एक पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट है, जो _____ (जिस अधिनियम के तहत सोसाइटी/ट्रस्ट पंजीकृत है) के तहत पंजीकृत है।
2. _____ (सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी का नाम, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है) गैर-स्वामित्व प्रकृति का है।
3. विद्यालय सामुदायिक सेवा के रूप में संचालित किया जा रहा है और यह व्यवसाय के रूप में नहीं चलाया जा रहा है तथा विद्यालय में किसी भी रूप में व्यवसायीकरण (commercialization) नहीं होता है।
4. संस्था की आय का कोई भी भाग ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी/विद्यालय प्रबंधन समिति के किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है और न ही स्थानान्तरित किया जाएगा। यदि बचत होती है, तो वह नियमित और अनियमित व्यय, विकास, मूल्यहास, और आकस्मिकता निधियों में योगदान के बाद विद्यालय को बढ़ावा देने और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उसी विद्यालय में उपयोग की जाएगी।
5. विद्यालय किसी अन्य संस्था, संगठन या निकाय को नाम, उद्देश्य, लोगो या किसी अन्य गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं दे रहा है।
6. विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त किए IX/X/XI/XII कक्षाओं में भारतीय शिक्षा बोर्ड के पैटर्न के तहत कक्षाएँ नहीं खोलेगा और न ही किसी भी रूप में भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम उपयोग करेगा।
7. विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रतिनिधि/प्रबंधक ने व्यक्तिगत रूप से संबद्धता उप-नियमों और परीक्षा उप-नियमों तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलरों का अध्ययन किया है। विद्यालय इन नियमों, दिशानिर्देशों और देश के कानून का पालन करने का वचन देता है।
8. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वैधानिक आवश्यकताओं, जैसे— ईपीएफ़, ईएसआई और श्रम कानूनों और विद्यालय एवं कर्मचारियों से संबंधित सभी लागू कानूनों का पालन किया जाए।



9. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, जल सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाणपत्र समय-समय पर संबंधित नगर निगम या राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी या नवीनीकृत किए जाएँ।
10. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि कक्षाएँ शुरू करने से पहले सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचे उपलब्ध हो और पूरे सत्र के दौरान बनाए रखें।
11. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि संबद्धता उप-नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षक कक्षाएँ शुरू करने से पहले उपलब्ध हों।
12. विद्यालय संबद्धता उप-नियमों में फीस से संबंधित प्रावधानों का पालन करेगा और सत्र शुरू होने से पहले छात्रों/अभिभावकों को शुल्क का विवरण प्रदान करेगा, जिसमें किसी भी प्रकार के छिपे हुए शुल्क शामिल नहीं होंगे।
13. विद्यालय किसी छात्र/अभिभावक को पुस्तकों/स्टेशनरी/पोशाक किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
14. विद्यालय पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करेगा।
15. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि संबद्धता के लिए आवेदन करने से पहले विद्यालय सभी आवश्यक शर्तें पूरी करता है और संबद्धता के बाद सभी अन्य शर्तों और संबद्धता उप-नियमों में दी गई सामान्य नियमों का पालन करेगा।
16. यदि संबद्धता कुछ शर्तों के साथ दी गई है, तो विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड पैटर्न की कक्षाएँ तब तक शुरू नहीं करेगा, जब तक कि विद्यालय द्वारा सभी शर्तों और संबद्धता उप-नियमों में उल्लिखित शर्तों के पालन का प्रमाण पत्र/हलफनामा जमा न किया जाए।

आ नो भद्राः क्रमवो यन्तु विष्णवः

